बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

कार्यालय–ज्ञाप

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी से सम्बद्ध समस्त राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में संचालित (B.A/B.Sc/B.Com/M.A./ M.Com.) पाठ्यक्रमों मे सत्र 2026–27 में प्रवेश हेतु ऑन लाईन प्रवेश पंजीकरण समर्थ पोर्टल के माध्यम से संचालित है। माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार छात्रहित में प्रवेश कन्फर्म करने की तिथियां निम्नवत् निर्धारित की जाती हैः–

समस्त राजकीय,अनुदानित एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों मे प्रवेश कन्फर्म करने की तिथि	दिनांक 23/06/2026 से 25/07/2026 तक

उपरोक्त प्रवेश कन्फर्म करने हेतु समर्थ पोर्टल द्वारा पृथक से कोई मेरिट सूची उपलब्ध नहीं करायी जायेगी। महाविद्यालय स्तर से मेरिट जारी करते हुये शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमावली का अनुपालन करते हुये प्रवेशार्थी के शैक्षिक अभिलेखों का परीक्षण एवं सत्यापन करने के उपरान्त ही ऑनलाईन प्रवेश कन्फर्म करने की कार्यवाही महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा की जायेगी। महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि प्रवेशार्थी द्वारा निर्धारित पंजीकरण शुल्क ऑनलाईन जमा किया गया हो।

यदि प्रवेश के समय सम्बन्धित प्राचार्य द्वारा उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित नहीं किया जाता है एवं भविष्य मे कोई तथ्य प्रकाश मे आता है अथवा शिकायत प्राप्त होती है तो इस हेतु सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य उत्तरदायी होंगे। ऐसे प्रकरणों को विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। समिति द्वारा लिय गया निर्णय सर्वमान्य होगा।

कुलसचिव

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

पत्रांक :- बु०वि०/सम्ब०/2026/2026 दिनांक :-22/06/2026

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्पादक झांसी/कानपुर संस्करण, दैनिक जागरण/अमर उजाला/दैनिक आज/दैनिक स्वदेश/दैनिक हिन्दुस्तान/डी0एल0ए0/दैनिक जन जन जागरण को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना अपने लोकप्रिय दैनिक में जनहित में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।
2. डा0 दीपक तोमर, सिस्टम एनालिस्ट को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना सभी महाविद्यालयो की कालेज लॉग इन पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
3. सहा0कुलसचिव(परीक्षा/गोप0/सम्ब0)।
4. निजी सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
5. कुलसचिव के अशुलिपिक।

कुलसचिव